(50)

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

प्रशासन गाँवों के संग
अभियान-2021

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

अमरसिंह ....बनाम जोरावरसिंह ....

मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 231/2021 प्रा.पत्र

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
01/12/2021 2021/409	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी श्री / ~~श्रीमती~~ अमरसिंह S/o उदयसिंह राजपूत, भोपालसिंह पिता श्री मानसिंह राजपूत निवासी– नेतावलगढ़ पाछली तहसील व जिला चित्तौडगढ़ ने ग्राम नेतावलगढ़पाछली स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर खाता संख्या 17 मे वर्णित आराजी कीता 8 कुल रकबा 3.45 हे. एवं खाता संख्या 275 मे वर्णित आराजी सं. 261 मी रकबा 0.44 एवं 1137/261 रकबा 0.44 कुल कीता 10 कुल रकबा 4.3300 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी की ग्राम नेतावलगढ़पाछली स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर खाता सं. 17 मे वर्णित आराजी कीता 8 कुल रकबा 3.4500 एवं खाता सं. 275 मे वर्णित आराजी सं. 261 मी. रकबा 0.4400 एवं 1137/261 रकबा 0.4400 है. कुल कीता 10 रकबा 4.3300 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500.00 रूपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) Signature Not Verified Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi Date: 2021.12.02 11:08:57 IST Reason: SelfAttested